

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 39/12 (अपील)

GCMS No. : 2012/00049

अनवान्

1. श्री सोहनलाल पिता भंवरलाल मीणा निवासी लदानी तह. मावली।

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री कैलाश पिता केवल भील निवासी धुणीमाता नाहरमगरा तह. मावली।
2. श्रीमती अमरी पत्नी केवल भील निवासी धुणीमाता नाहरमगरा तह. मावली।
3. श्री छगनलाल पिता केवल भील निवासी धुणीमाता नाहरमगरा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. ग्राम पंचायत नान्दवेल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नान्दवेल तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली।

.....रेस्पोजेन्ट्स

उपस्थित-1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट**अपील विरुद्ध निर्णय ग्रा.प. नान्दवेल, बाबत ना. सं. 7392 दि. 05.04.2012****—: : निर्णय : :—****दिनांक : 02.11.2020**

1. अपीलान्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत नान्दवेल बाबत् नामान्तरण संख्या 7392 दिनांक 05.04.2012 के विरुद्ध मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश न्याय व विधि के विरुद्ध हैं विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने रेस्पोजेन्ट्स व अन्य के विरुद्ध घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय उप जिला कलक्टर मावली में तारीख 15.09.2006 को पेश किया जिस पर तारीख 02.01.2008 को दोनों पक्षों को रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 197/06 वादपत्र हैं। कथित वादपत्र के विचाराधीन होते हुए मोती, द्वारा तारीख 26.10.2008 को विवादित आराजी रेस्पोजेन्ट्स नम्बर 1, 2, 3 व अन्य को नुमाईशी विक्रय कर



दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 6787 खुलवा स्वीकृत करा लिया। इस नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा एस.डी.ओ. मावली में अपील प्रस्तुत की जो तारीख 02.07.2009 को निरस्त कर दी गयी जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय उदयपुर में पेश की जो तारीख 19.01.2011 को स्वीकार कर नामान्तरकरण 6787 को निरस्त कर दिया जिसके मुकदमा नम्बर 90/2009 अपील हैं। जिसमें रेस्पोजेन्ट्स सभी पक्षकार हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं।

2. यह कि उक्त वाद के विचाराधीन होते हुए व नामान्तरकरण नम्बर 6787 निरस्त होते हुए रेस्पोजेन्ट्स ने कथित वाद व नामान्तरकरण नम्बर 6787 के निरस्ती के आदेश को छिपाते हुए आपसी मिलीभगत से नुमाईशी आपसी बंटवारा बिना तहसीलदार से आदेश पारित कराया है। जबकि इन सभी को मालुम था कि कथित नामान्तरकरण नम्बर 6787 निरस्त हो चुका है फिर भी गलत इन्द्राज के आधार पर आपसी बंटवारा का आदेश पारित करने में विधिक भूल की हैं जो अवैध होकर बिना अधिकार के है तथा तहसीलदार ने भी अपने कर्तव्य के बाहर जाकर बिना अधिकार के कथित आदेश पारित किया है। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने अलग अपील प्रस्तुत कर दी हैं।
3. यह कि रेस्पोजेन्ट ने आपस में मिलकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से व स्वयं को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से कथित आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पोजेन्ट्स का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं हैं न कब्जा है, न रेस्पोजेन्ट्स विवादित भूमि के खातेदार हे ऐसी अवस्था में कथित आराजी को संपरिवर्तन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा तहसीलदार को चाहिए था कि नामान्तरकरण नम्बर 6787 जो न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के यहां से निरस्त कर दिया गया हैं। उसका अमल दरामद कर रेस्पोजेन्ट्स का नाम हटा देना चाहिए था।
4. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित निरस्त फरमाया जावे तथा इस अपील का खर्चा रेस्पोजेन्ट्स से अपीलान्ट को दिलाया जावें।
5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पोजेन्ट सं. 2 फौत हो चुका हैं। उक्त

अनवान की अन्य पत्रावलियों के साथ इस प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेज पेश कर नामान्तरकरण विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया।
7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 7392 दिनांक 05.04.2012 को ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर मयाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 02.01.2008 को दोनों पक्षों को रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये। वाद के विचाराधीन होते हुए मोती द्वारा दिनांक 26.10.2008 को रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1, 2, 3 व अन्य को भूमि को विक्रय कर नामान्तरकरण 6787 खुलवा दिया जिसकी अपील एस.डी.ओ. मावली में की, जो 02.07.2009 को निरस्त हुई। जिसकी द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर में की जिसके अपील संख्या 90/09 होकर 19.01.2011 को अपील स्वीकार होकर नामान्तरकरण सं. 6787 को निरस्त कर दिया गया। उसके बावजूद भी बंटवाडें के आदेश पारित कराकर अन्य कार्यवाही कर ली गई है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 7392 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया है।
8. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। नामान्तरकरण सं. 7392 के अवलोकन से उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित किया गया है। नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण श्री कैलाश पिता केवल भील, श्रीमती अमरी पत्नी केवल भील द्वारा श्री छगनलाल पिता केवल भील के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग किया जाने से उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्ट का यह तर्क है कि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण वाद व स्थगन के बावजूद पारित हुआ है। अतः ग्राम पंचायत

नान्दवेल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर यह नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही की गई है जो कि विधि विरुद्ध प्रतीत होती हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण की जांच किया जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 7392 दिनांक 05.04.2012 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर गवाह, साक्ष्य, सबूत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली